तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ. शकरलाल बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) सू.अ.अ.अपील सं0 228/2023 (ऑनलाईन 353808085438798)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.23	अपीलार्थी डॉ. शंकरलाल सिसोदिया निवासी श्री शांतिप्रिया कॉलानी, बोरून्दा जिला जोधपुर (ग्रामीण) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.07.2023. में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर के पत्र क्रमांक पीए/2019/3649–3650 दिनांक 11.12.2019 के सन्दर्भ में विकास अधिकरी, पंचायत समिति पीपाड़शहर द्वारा की गई पूर्ण जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर को प्रस्तुत की गई, की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 6584 दिनांक 08.09.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक पीए/2019/3649 दिनांक 11.12.2019 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर को भिजवाया गया कि पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से उनके पत्रांक पीए/2019/3649–3650 दिनांक 11.12.2019 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़शहर ने जांच कर जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर को प्रेषित गई, उस बाबत् सूचना चाही गई जो उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2023 पर क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट नहीं किया गया, जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमाशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)